[2021] 11 एस. सी. आर. 811

शेख अंसार अहमद एम. डी. हुसैन

बनाम

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

(2021 की सिविल अपील संख्या 695)

05 अक्टूबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

निर्णय/आदेश: तर्कसंगत निर्णय-देने की आवश्यकता

निर्णय/आदेश में कारण-अपीलार्थियों की शिकायत यह है कि विवादित निर्णय के लिए तर्क दिया गया था और इसके संचालन भाग की घोषणा के लंबे समय बाद प्रकाशित किया गया था-निर्णय का संचालन भाग 27.06.2019 पर घोषित किया गया था-कारण 05.10.2020 पर प्रकाशित किए गए थे-आयोजित: उच्च न्यायालय का आचरण

कारण प्रस्तुत न करने में, या तो निर्णय के संचारी भाग की घोषणा के समय, या अगले कार्य दिवस (न्यायालय के) के प्रारंभ से पहले दृढ़ता से अवमूल्यन-न्यायिक अवमूल्यन।

जनहित याचिका: विवादित फैसला रिट में पारित किया गया

जनहित याचिका (पी. आई. एल.) के रूप में दायर याचिका को अपीलकर्ताओं द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई कि पी. आई. एल. प्रेरित थी-आयोजित: वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पी. आई. एल. का उद्देश्य वास्तविक उद्देश्यों के लिए विचार करना है, न कि प्रचार की खोज में गुमराह व्यक्तियों की सहायता करना, या सार्वजनिक अधिकारियों या संस्थानों पर प्रतिशोध लेना।

द.

रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा समर्थित कारण निस्संदेह सार्वजनिक हित में था, क्योंकि यह आर्थिक रूप से लोगों के लिए आवास से संबंधित था।

समाज के वंचित वर्ग, इतनी बड़ी संख्या में-यह योजना हजारों व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए थी, और एक हजार से अधिक आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना था और लाभार्थियों को आवंटित किया जाना था-कार्यवाही के दौरान आयोजित और तैयार की गई पूछताछ और रिपोर्टों को देखते हुए, जनहित की कार्यवाही की शुरुआत, ऐसी सामग्री को ध्यान में रखते हुए, उचित थी।

रिपोर्ट-भले ही जनहित याचिकाकर्ताओं के इरादे अस्पष्ट थे, या तुरंत प्रामाणिक नहीं थे, जिसके कारण उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता था-इसलिए जनहित याचिकाकर्ताओं की स्थिति की कमी के बारे में आपत्ति, योग्यता के बिना है।

आवास।

11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनहित याचिका: आवास योजना-के आरोप

योजना को पूरा करने के संबंध में नगरपालिका अधिकारियों की ओर से विफलता और उपेक्षा-आपराधिक जनहित में

मुकदमेबाजी, प्रतिवादियों (पी. आई. एल. याचिकाकर्ताओं) ने निर्देश मांगे

भारत संघ, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र आवास

जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना और नगर परिषद, नलदुर्ग के पदाधिकारी और संबंधित

सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए ठेकेदार

नगरपालिका में आवास योजना का कार्यान्वयन-जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं ने पूरी तरह से कुप्रबंधन का आरोप लगाया था जिसके संदर्भ में 1 लाख 5 हजार आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना था और पात्र व्यक्तियों को सौंप दिया जाना था-इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन और आवंटित लोगों द्वारा वहन किए जाने वाले शेष धन पर विचार किया गया था-जबकि लक्षित 1206 आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना था, 737 लाभार्थी आरक्षित श्रेणी के थे और बाकी सामान्य श्रेणी के थे-निरीक्षण रिपोर्ट और एम. एच. ए. डी. ए. के साथ-साथ मंडल के शपथ पत्र।

आयुक्त ने खुलासा किया कि केवल 303 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया था नालदुर्ग के विभिन्न इलाकों में, जिनमें से 202 का उपयोग किया जा सकता था और

100 अनुपयोगी और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे-हलफनामे

अधिकारियों की ओर से दायर किए गए आवेदन से पता चला कि अतिरिक्त भुगतान

1,52,81,846 / - और 90,97,771/- बनाए गए थे-ध्यान देने के बाद

आयुक्त, उच्च न्यायालय के हलफनामे ने प्रतिवादियों को रिपोर्टों के आलोक में कदम उठाने और कार्रवाई करने का निर्देश देने वाली जनहित याचिकाओं का निपटारा किया

हलफनामे में उल्लिखित, "अपने तार्किक अंत तक" के रूप में तेजी से

संभव-तत्काल अपील में, अपीलार्थी का मुख्य तर्क

कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई थी

हालाँकि उन्हें जनहित की कार्यवाही में नहीं सुना गया था, और

कि उनके प्रतिकूल होने के कारण उनकी गैर-भागीदारी के कारण निर्णय को दूषित कर दिया गया था-आयोजित: उच्च न्यायालय ने न तो स्वयं जांच शुरू करने का निर्देश दिया था और न ही प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे अपनी रिपोर्ट और हलफनामे में उल्लिखित कार्रवाई के आलोक में "इसके तार्किक अंत तक" कदम उठाएं।

-

निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड की गई सामग्री और संभागीय सहित अन्य सामग्री

आयुक्त के हलफनामे में गंभीर प्रकृति की अनियमितताएं दिखाई गईं

- रिपोर्टों के अनुसार, ऐसे 100 घरों के संबंध में निर्माण उप-मानक थे, इतने गंभीर थे कि इकाइयाँ अनुपयोगी थीं शेख अंसार अहमद एम. डी.

हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य

1206 पात्र और योग्य परिवारों को आवास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त राशि खर्च करने के बावजूद पूरा नहीं हुआ-इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्हें सुना जाना चाहिए था, इस न्यायालय के लिए स्वीकार्य नहीं है; यह सही नहीं है-गंभीर अनियमितताओं का सुझाव देने वाली सामग्री थी।

सरकार ने संभागीय आयुक्त को उनके द्वारा दायर हलफनामे में पुष्टि करने की अनुमति दी कि आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी-ऐसी परिस्थितियों में, मामले को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि क्या आरोप सही हैं या क्या

याचिकाकर्ताओं की ओर से संदर्भ प्रस्तुतियों ने उनके आचरण या चूक को उचित ठहराया, जिस पर उच्च न्यायालय टिप्पणी नहीं कर सका और न ही सही-सही टिप्पणी कर सका-जहां तक स्वयं प्राथमिकी का संबंध है, पुलिस के पास ललिता कुमारी में घोषित कानून की अनिवार्य प्रकृति को देखते हुए कोई विकल्प नहीं था, जहां एक प्रारंभिक जांच आमतौर पर की जाती है।

जब भी संज्ञेय अपराधों की सूचना दी जाती है तो उन्हें टाल दिया जाना चाहिए-इस प्रकार, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. अपीलार्थियों की पहली शिकायत यह है कि विवादित फैसले का कारण दिया गया था और प्रकाशित किया गया था

इसके सक्रिय भाग के उच्चारण के बहुत बाद। निर्णय के सक्रिय भाग को 27.06.2019 पर घोषित किया गया था। कारण 05.10.2020 पर प्रकाशित किए गए थे। यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के आदेश, जिसके खिलाफ एक पीड़ित वादी को विशेष अनुमति अधिकार क्षेत्र के तहत इस अदालत से संपर्क करने का अधिकार है, में ऐसे कारण होने चाहिए, जिनके बिना विशेष अनुमति मांगने के उस अधिकार का प्रयोग करना लगभग असंभव होगा, और कई मामलों में,

अंतरिम और संभवतः एकतरफा राहत का आग्रह किया। इस मामले में, उच्च न्यायालय को संचालन के कारणों को प्रस्तुत करना चाहिए था

उसके आदेश का हिस्सा। उस हद तक, अपीलार्थियों की शिकायत उचित है। हालाँकि, यह अदालत परिस्थितियों और अभिलेख पर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह मानने के लिए अनिच्छुक है कि कारणों का अभाव विवादित निर्णय की वैधता पर प्रहार करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने इस हद तक पूर्वाग्रह पैदा किया कि अपीलकर्ता उन आधारों को प्रस्तुत करने में असमर्थ थे जिन पर उनकी विशेष अनुमति याचिकाएं आधारित थीं। हालाँकि, वह पूर्वाग्रह दूर हो गया-इस अदालत के अंतरिम आदेशों के साथ सेट किया गया, जिसने स्थिति की उग्रता को मान्यता दी, [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अपीलार्थियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश नहीं होना चाहिए

अलग रखा जाए। हालाँकि, निर्णय के कार्यकारी भाग की घोषणा के समय या अगले कार्य दिवस (न्यायालय के) के शुरू होने से पहले कारण प्रस्तुत नहीं करने में उच्च न्यायालय के आचरण की कड़ी निंदा की जाती है। [पैरा 25] [827-ई-एच; 828-ए-बी]

2.1 विवादित निर्णय के लिए अपीलार्थी की अगली चुनौती यह आधार है कि जनहित याचिका प्रेरित थी, और वे पक्षकार नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनहित याचिका पर विचार किया जाना चाहिए, प्रामाणिक कारणों के लिए, न कि गुमराह व्यक्तियों की सहायता के लिए।

पार्षद, और राजनीति से प्रेरित। यह तथ्य अपील की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है। उक्त व्यक्तियों द्वारा समर्थित कारण निस्संदेह जनहित का था, क्योंकि यह इतनी बड़ी संख्या में समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए आवास से संबंधित था। इस योजना का लाभ उठाना था हजारों व्यक्तियों और एक हजार से अधिक आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना था और लाभार्थियों को आवंटित किया जाना था। कार्यवाही के दौरान की गई और तैयार की गई पूछताछों और रिपोर्टों को देखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता था कि ऐसी रिपोर्टों की सामग्री को ध्यान में रखते हुए जनहित की कार्यवाही शुरू करना उचित था। वर्तमान मामले में, भले ही जनहित याचिकाकर्ताओं के इरादे अस्पष्ट थे, या तुरंत प्रामाणिक नहीं थे, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता था। इसलिए, जनहित याचिकाकर्ताओं की स्थिति की कमी के बारे में आपत्ति बेमानी है। [पैरा 26,27,29] [828-सी, डी-ई; 830-जी-एच; 831-ए-सी]

जसभाई देसाई बनाम। रोशन कुमार [1976] 3 एससीआर 58; पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन बनाम भारत के यूनॉन और अन्य। (2017) 16 एस. सी. सी. 780-पर निर्भर था।

2.2 इस प्रकार अभिलेख से पता चलता है कि दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं जिनमें कुछ हद तक समान आरोप थे, अर्थात विफलता और शेख अंसार अहमद एम. डी. में नलदुर्ग के नगरपालिका अधिकारियों की ओर से उपेक्षा।

हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य

योजना को पूरा करने के संबंध में। जनहित याचिकाकर्ताओं ने आई. एच. एस. डी. पी. के पूरी तरह से कुप्रबंधन का आरोप लगाया था, जिसके संदर्भ में 1 लाख 50 हजार आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना था और पात्र व्यक्तियों को सौंप दिया जाना था। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन और आवंटनकर्ताओं द्वारा वहन किए जाने वाले शेष धन पर विचार किया गया। बनाए जाने वाले लक्षित 1206 आवास इकाइयों में से 737 लाभार्थी आरक्षित श्रेणी के थे और बाकी सामान्य श्रेणी के थे। निर्माण की लागत 16,08,91,396/- अनुमानित थी। कुल लागत ₹ 20,69,04,514/- थी। आखिरकार, एम. एच. ए. डी. ए. के साथ-साथ संभागीय आयुक्त की निरीक्षण रिपोर्ट और हलफनामों के रूप में सामग्री से पता चला कि नलदुर्ग में विभिन्न इलाकों में केवल 242 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया था, जिनमें से 202 का उपयोग किया जा सकता था और 100 अनुपयोगी और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के कारण निरीक्षण के साथ-साथ खातों का सत्यापन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों की ओर से दायर हलफनामों से पता चला

कि ₹ 1,52,81,846/- और ₹ 90,97,771/- का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। [पैरा 30] [831-सी-जी]

रिपोर्ट दिनांकित 20.04.2019 और इसमें अनुशंसित कदम 22.04.2019 पर समिति की बैठक। [पारस 31,32] [831-जी-एच; 832-ए-डी] [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.1 यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने न तो स्वयं जांच शुरू करने का निर्देश दिया और न ही इसके पंजीकरण का निर्देश दिया। एक एफ. आई. आर.। संभागीय आयुक्त ने उन्हें अपदस्थ कर दिया था

इस तरह के कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उन कदमों को उनके तार्किक उद्देश्य के लिए उठाया जाए। जबकि विवादित फैसले का तर्क निस्संदेह एक लंबी और अस्पष्टीकृत देरी के बाद प्रकाशित किया गया था, इसके परिचालन निर्देशों का प्रभाव स्वयं मुकदमा चलाने के लिए नहीं था। यह केवल

संभागीय आयुक्त को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी, जो आपराधिक अभियोजन शुरू करने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इच्छित लाभार्थियों के लिए फ्लैटों के पुनर्निर्माण की दिशा में भी कदम उठा रहे थे। यह रिकॉर्ड की बात है कि जब दिसंबर 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तो सभी वर्तमान अपीलार्थियों-जिनमें से सभी उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं थे-को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि इनमें से कई अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि अग्रिम जमानत के लिए उनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे; उन्होंने विशेष अवकाश के लिए आवेदन के साथ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं क्योंकि वे उच्च न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। उन कार्यवाही पर विचार किया गया और इस अदालत ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से बचाने के लिए अंतरिम आदेश दिए थे। [पारस 33,34] [833-सी-जी]

4.2 दिनांक 20.04.2019 की निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड की गई सामग्री और आगे की सामग्री

संभागीय आयुक्त के हलफनामे सहित, गंभीर प्रकृति की अनियमितताएँ दिखाई दीं। रिपोर्टों के अनुसार, ऐसे 100 घरों के संबंध में निर्माण उप-मानक थे, इतने गंभीर थे कि इकाइयाँ अनुपयोगी थीं। मुख्य उद्देश्य

1206 पात्र और योग्य परिवारों को आवास प्रदान करना पर्याप्त राशि के खर्च के बावजूद अधूरा है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थियों का यह तर्क कि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्हें सुना जाना चाहिए था, इस न्यायालय के लिए स्वीकार्य नहीं है; यह सही नहीं है। [पैरा 35] [833-जी-एच; 834-ए-बी]

5. वर्तमान मामले में, गंभीर अनियमितताओं का संकेत देने वाली सामग्री थी। सरकार ने संभागीय को अनुमति दी

12.06.2019 पर अपने द्वारा दायर हलफनामे में पुष्टि करने के लिए कि आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। ऐसे में

परिस्थितियों, शेख अंसार अहमद एम. डी. को लेने के लिए उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ।

हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य

इसलिए, तार्किक अंत तक के मामले को उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए। क्या आरोप सही हैं या क्या

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत दलीलों ने उनके आचरण या चूक को उचित ठहराया, जिस पर उच्च न्यायालय टिप्पणी नहीं कर सका, और इस अदालत की सही राय में, टिप्पणी नहीं की। जहाँ तक एफ़. आई. आर. का संबंध है, ललिता कुमारी में घोषित कानून की अनिवार्य प्रकृति को देखते हुए पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था, जहाँ सामान्य रूप से जब भी प्रारंभिक जाँच से बचना होता है।

संज्ञेय अपराधों की सूचना दी जाती है। [पैरा 36] 834-जी-एच; 835-ए-बी]

ललिता कुमारी बनाम। सरकार. उत्तर प्रदेश (2014) 2 एस. सी. सी. 1: [2013]

14 एस. सी. आर. 713-अनुसरण किया गया।

बालाजी बलिराम मुपाडे और अन्र बनाम। राज्य का

महाराष्ट्र और ओआरएस। आकाशवाणी 2020 एससी 5758 ओरिएंटल

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम ज़ैक्सू ज़ी और ओआरएस। (2020) एससीसी

ऑनलाइन एससी 1145; सुदिप्ता चक्रवर्ती और अन्र। वी.

राणाघाट एस. डी. अस्पताल और अन्य। AIR 2021 SC 3344;

उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य वी. एलआरएस द्वारा सत्य नारायण कपूर (मृत)। & ओआरएस (2004) 8 एससीसी 630; उत्तरांचल राज्य बनाम। बलवंत सिंह चौफाल और अन्य (2010) 3 एस. सी. सी. 402:

[2010] 1 एस. सी. आर. 678 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

(2004) 8 एस. सी. सी. 630

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

[2010] 1 एससीआर 678

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[1976] 3 एससीआर 58

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

(2017) 16 एससीसी 780

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[2013] 14 एससीआर 713

पीछा किया।

पैरा 35

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.695

2021 .

उच्च न्यायालय के 27.06.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की जनहित याचिका No.70 में औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच में न्यायिक कार्य।

के साथ सिविल अपील सं।
696 , 1157 , 700 , 699 , 698 , 1158 , 697 , 1156 , 604 ,

605 और 2021 का 603।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्याम दीवान, चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, निशांत

रमाकांतराव कटनेश्वरकर, शिवाजी एम. जाधव, अनीश आर. शाह, समीर पटेल, बृज किशोर साह, सुश्री कुर्रतुलैन, आदित्य एस. जाधव, निकोलस चौधरी, शिव राम पांडे, सुश्री अमनदीप कौर, डॉ. आर. आर. देशपांडे, अभय अनिल अंतुरकर, मेसर्स डॉ. आर. आर. देशपांडे एंड एसोसिएट्स, पाई अमित, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, संजय उपाध्याय, श्रीमती मयूरी रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, सालिक शफीक, श्रीकिशन शिंदे, काजी संगी थुपडेन, विदुषी शांडिल्य। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. सभी याचिकाओं में विशेष अनुमति दी गई। अपीलों की सुनवाई इन पक्षों की ओर से पेश वकील की सहमति से की गई थी।

कार्यवाही। 2. अपीलों के इन समूह में अपीलार्थियों की शिकायत औरंगाबाद पीठ के एक सामान्य निर्णय के संबंध में है।

प्रत्यर्थियों (मूल रिट याचिकाकर्ता, इसके बाद "जनहित याचिका याचिकाकर्ता") ने भारत संघ, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (एम. एच. ए. डी. ए.) और राज्य को निर्देश देने की मांग की। नगर परिषद, नलदुर्ग (इसके बाद) के जिम्मेदार अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारी

नगरपालिका। कुछ अपीलकर्ताओं ने आपराधिक कार्यवाही का विरोध करते हुए आपराधिक याचिकाएं दायर की थीं, जिनका निपटारा कर दिया गया था। 3. जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगरपालिका के पूर्व पार्षदों होने का दावा किया जो सामाजिक गतिविधियों में शामिल थे।

समाज में सुधार और पुनर्निर्माण जिसमें एक पुस्तकालय (नलदुर्ग में लोकमान्य पुस्तक पुस्तकालय) चलाना शामिल था। उन्होंने निरक्षर लोगों के लिए साक्षरता शिविर, गर्मियों के मौसम में सार्वजनिक स्थानों पर प्याला (पानपोई) आदि जैसे विभिन्न शिविरों का भी आयोजन किया था। 1 दिनांक 27.06.2019 आपराधिक जनहित याचिका संख्या 6/2018, जनहित याचिका संख्या 70/2014 और आपराधिक आवेदन संख्या के साथ। 2075 , 2091 और 2107/2019।

शेख अंसार अहमद एम. डी. हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

4. भारत संघ ने एकीकृत आवास को लागू किया और

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत राज्य सरकार के माध्यम से झुग्गी विकास कार्यक्रम (आई. एच. एस. डी. पी.) (इसके बाद "मिशन") शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिसमें किफायती कीमतों की अवधि की सुरक्षा, बेहतर आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य के अभिसरण के माध्यम से वितरण सुनिश्चित करना शामिल है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की मौजूदा सार्वभौमिक सेवाएं। मिशन का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना था कि शहरी गरीबों को आवास प्रदान किया जाए। यह योजना मिशन के तहत सभी शहरों/कस्बों पर लागू होती है। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बी. एस. यू. पी.) और आई. एच. एस. डी. पी. के लिए दिशा-निर्देश दिसंबर 2005 में जारी किए गए थे।

सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को नोडल एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया। इस मामले में म्हाडा नोडल एजेंसी है। 5. एक सरकारी संकल्प दिनांक 03.02.2009 के संदर्भ में, प्रत्येक आवास इकाई के निर्माण की लागत 80,000/- थी। द.

ऐसे आवास का न्यूनतम तल क्षेत्र 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। कम से कम दो कमरों, एक रसोई और एक शौचालय के साथ मीटर। उक्त योजना को लागू करने के लिए धनराशि 80 के अनुपात में थी: 20 (केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच-शहरी स्थानीय निकाय)। इसके अलावा, योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 12 प्रतिशत का योगदान देना था, और आरक्षित श्रेणी के मामले में योगदान 10 प्रतिशत होना था। उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए नामित नोडल एजेंसी

शहरी स्थानीय निकायों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदार था और इस प्रकार,

उत्तरदाता सं। 3 और 6-कौन सी नोडल एजेंसियां थीं राज्य सरकार के भीतर योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार और उसका नियंत्रण था। उस्मानाबाद जिले के नलदुर्ग को गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए आई. एच. एस. डी. पी. की योजना के तहत शामिल किया गया था।

6. योजना के अनुसार, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी,

परियोजना के लाभार्थियों के रूप में श्रेणी की पहचान की गई। की लागत प्रत्येक घर ₹ 1,00,551/- निर्धारित किया गया था; परियोजना की कुल लागत 20,69,04,514/- निर्धारित की गई थी, जिसमें से निर्माण की लागत 16,08,91,396/- थी और बुनियादी ढांचे के लिए ₹ 4,11,17,000/- लागत थी। नगरपालिका ने एक निविदा सूचना 2 प्रकाशित की। निविदा में काम की अनुमानित लागत 15,08,91,396/- थी और निर्माण पूरा करने के लिए निर्धारित समय था।

2 "दैनिक सकल" में, अपने दिनांकित 26.08.2008 अंक में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एमएचएडीए द्वारा अधिकृत। विभिन्न अनियमितताएँ, जैसे कि उच्च निर्धारण आवास की कीमत, यानी ₹80,000/- के बजाय ₹ <ID1/-, परियोजना को पूरा करने में विफलता, और कई अन्य चूक का आरोप लगाया गया था। द.

जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः 04.11.2018 और 15.03.2012 की रिपोर्टों पर भी भरोसा किया।

8. जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं और आधिकारिक प्रतिवादियों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने 02.04.2019 पर निम्नलिखित आदेश जारी किए: दिशा निर्देशः

" संभागीय आयुक्त, औरंगाबाद प्रभाग,

औरंगाबाद, कलेक्टर शेख अंसार अहमद एम. डी. की एक बैठक बुलाएगा।

हुसैन वी। राज्य

महाराष्ट्र [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उस्मानाबाद और तकनीकी व्यक्तियों सहित अन्य अधिकारी

म्हाडा से, जो एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, प्रमुख

नगर परिषद, नलदुर्ग के अधिकारी, एक अवधि के भीतर आज से चार सप्ताह के लिए और इस न्यायालय का मूल्यांकन करेगा

योजना को लागू करने के मामले में उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल करना और

अनियमितताओं को देखने और कार्रवाई करने के अलावा

चूककर्ताओं के खिलाफ शुरू किया गया। इस अभ्यास को पूरा होने दें।

17 जून, 2019 तक, मंडल द्वारा एक हलफनामा दाखिल करके

आयुक्त, औरंगाबाद प्रभाग, औरंगाबाद "। .

9. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, संभागीय आयुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथ अपना हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि उचित कार्रवाई के लिए दिनांकित आदेश द्वारा

05.04.2019 , उन्होंने मौके पर निरीक्षण करने और योजना के कार्यान्वयन और अन्य संबंधित जानकारी के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अन्य चार सदस्यों के साथ म्हाडा के मुख्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त समिति ने योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी कई अवैधताओं और अनियमितताओं को सूचीबद्ध करते हुए 20.04.2019 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उपचारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। यह कहा गया कि समिति ने सुझाव दिया कि चूंकि दोनों योजनाएं यानी आई. एच. एस. डी. पी. और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं 31.03.2017 पर समाप्त हो गई थीं, इसलिए उक्त योजना के तहत निर्मित गैर-आवंटित घरों को जी. आर. दिनांक 25.09.2019 को देखते हुए प्रधान मंत्री आवास योजना (पी. एम. ए. वाई.) के तहत उपलब्ध कराया जा सकता है। आगे यह सुझाव दिया गया कि

अ)

155 नगरपालिका द्वारा निर्मित घरों के लिए मामूली आवश्यकता होती है।

इस तरह की मरम्मत के बाद उन्हें जी. आर. दिनांक 25.09.2018 के प्रावधानों के तहत मूल पात्र लाभार्थियों को आवंटित किया जा सकता है।

ख)

45 जिन घरों की बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें पात्रों को आवंटित किया जाएगा

योजना के अनुसार उक्त जी. आर. के तहत लाभार्थी।

(ग)

100 वसंत नगर में बनाए गए घर जो नहीं हो सके

मरम्मत को ध्वस्त किया जाना था। पीएमएवाई के तहत नई रिपोर्ट तैयार करने के बाद, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घरों का निर्माण और आवंटन किया जाना था।

3 क) क्षेत्रीय उप-निदेशक नगर प्रशासन, संभागीय आयुक्त, औरंगाबाद, ख) कार्यकारी अभियंता, म्हाडा औरंगाबाद, ग) सहायक निदेशक, सुलह, संभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद, घ) लेखा अधिकारी, नगर प्रशासन, संभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. हलफनामे में अधिकारियों की एक बैठक का भी उल्लेख किया गया है।

22.04.2019 न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया, जिसमें समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया, जिसके बाद संभागीय आयुक्त ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

तकनीकी मूल्यांकन का संचालन उस्मानाबाद के कलेक्टर करेंगे।

1)

उनकी देखरेख में किए गए कार्यों का विवरण दें और गुणवत्ता के साथ-साथ घरों और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस उद्देश्य के लिए, आयुक्त ने उस्मानाबाद के कलेक्टर की समग्र देखरेख में कार्यकारी अभियंता, म्हाडा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
यदि वित्तीय अनियमितताएँ हुई थीं, तो राशि होनी चाहिए थी

(ख)

इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति (ओं) से बरामद किया गया।

तकनीकी समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद की गई कार्रवाई

iii)

अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी

कानून के अनुसार।

11. उस्मानाबाद के कलेक्टर ने दिनांकित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

03.06.2019 , जिसमें कहा गया है कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को ठेकेदारों को दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली करने, उन्हें सरकारी काम के लिए काली सूची में डालने और अनियमितता करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के निर्देश जारी किए गए थे। मुख्य अधिकारी

नगरपालिका को पी. एम. ए. वाई. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मरम्मत किए जा सकने वाले घरों को आवंटित करने और अनुपालन की रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया। 12. आयुक्त के दिनांकित 12.06.2019 के एक अन्य हलफनामे पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने 27.06.2019 पर जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए उत्तरदाताओं को रिपोर्टों के आलोक में कदम उठाने का निर्देश दिया, और हलफनामे के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित कार्रवाई, "इसके तार्किक अंत तक" जितनी जल्दी हो सके। औरंगाबाद के संभागीय आयुक्त को यह भी तय करना था कि क्या इस योजना को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई "किसी अन्य आवास योजना का सहारा लेकर" पूरा किया जा सकता है। अदालत ने माना कि इस पर विचार करने का कोई कारण नहीं है

कोई भी आपराधिक आवेदन, और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया।

दलों की दलीलें

13. अपीलार्थियों में से एक के वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया कि विवादित फैसले का परिचालन भाग 27.06.2019 पर सुनाया गया था; हालाँकि, शेख अंसार अहमद एम. डी. के बाद 05.10.2020 पर कारण अपलोड किए गए थे।

हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कथित अपराध से संबंधित तरीका। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य पर निर्भरता रखी गई है। वी. एलआरएस द्वारा सत्य नारायण कपूर (मृत)। & ओरस '। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि सुनवाई के अवसर की कमी के परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है जैसा कि उत्तरदाताओं ने किया है विवादित निर्णय को निर्देशों के रूप में समझा गया, जिसमें उन्हें आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता होती है, जिन पर वास्तव में कार्रवाई की गई है। यह आग्रह किया गया था कि कुछ अपीलकर्ताओं को अग्रिम जमानत लेने के लिए विवश किया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिससे उन्हें इस अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस संबंध में, विद्वान वकील यह तर्क देने के लिए दुखी थे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) 02.12.2019 पर 16.11.2019 और 21.11.2019 पर किए गए अदालत के आदेशों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में दायर की गई थी।

15. यह तर्क दिया गया कि जिन याचिकाओं के कारण विवादित निर्णय आया, वे जनहित याचिका के दुरुपयोग का एक उदाहरण हैं। यह था।

5 (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 1145 6 एआईआर 2021 एससी 3344 7 (2004) 8 एससीसी 630 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. राज्य और एम. एच. ए. डी. ए. का तर्क है कि मिशन के तहत अपने निरीक्षण के अनुसार बी. एस. यू. पी./आई. एच. एस. डी. पी. योजना के लिए जारी धन की लेखा परीक्षा के लिए एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट 19.11.2014 पर प्रस्तुत की गई थी। इसने कहा कि एम. एच. ए. डी. ए./राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए नगरपालिका को 17.09.2014 और 18.09.2014 पर धन जारी किया गया था। एम. एच. ए. डी. ए. द्वारा आई. एच. एस. डी. पी. के लिए औरंगाबाद बोर्ड के माध्यम से नगरपालिका को कुल ₹1,000/- उपलब्ध कराए गए थे। कार्यक्रम। इस कोष में से ₹ 1,44,00,000/- का भुगतान प्रत्यर्थी No.11 को जुटाने के लिए दिया गया था और पूरी राशि बाद में आर. ए. बिलों से वसूल की गई थी।

18. इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ₹ 9,29,17,000/- के कोष में से प्राप्त हुआ

केंद्र सरकार से, लाभार्थियों से वसूली और कुल मिलाकर अर्जित ब्याज ₹ 10,25,62,318/-। नगर परिषद ने * 9,43,33,553/- खर्च किए और शेष राशि ₹ 82,28,765/- बची थी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के संदर्भ में, व्यय लाभार्थियों के हिस्से और परिषद के हिस्से के अनुसार किया जाना था। हालांकि, पूरी राशि केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त धन से खर्च की गई थी। यह पाया गया कि 302 आवासों के निर्माण के लिए कुल मिलाकर ₹ 3,03,51,000/- (प्रत्येक ₹ 1,00,500) खर्च किए जाने थे, लेकिन वास्तव में ₹ 5,75,47,141/- खर्च किए गए थे। लाभार्थियों से वसूली की जानी थी; फिर भी केवल 40 लाभार्थियों से ही वसूली की गई। 19. यह प्रस्तुत किया गया था कि मकानों के मौके पर दौरे (17 और 18 सितंबर 2014 को) के दौरान, यह पाया गया कि निर्माण लंबे समय से चल रहा था।

रुक गया। यह भी पाया गया कि नगर पालिका ने

8 (2010) 3 एस. सी. सी. 402 शेख अंसार अहमद एम. डी. हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पाँच झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में 302 आवासों का निर्माण। कार्यान्वयन अवधि 31.03.2015 पर समाप्त हुई और समय सीमा को पूरा करना संभव नहीं था। बाहरी काम पूरे हो चुके थे। समिति ने दी सलाह नगरपालिका को सुरक्षा की कमी और गैर-आवंटन क्षति के कारण नुकसान के कारण तुरंत मकानों का आवंटन करना।

20. उत्तरदाताओं ने कहा कि हालांकि कई वर्षों से काम बंद था, फिर भी इन खातों से राशि निकाल ली गई थी

कहीं और। इसके अलावा, प्रस्तुत वकील ने कहा कि स्थल निरीक्षण और संयुक्त माप में 02.05.2019 से 04.05.2019 की अवधि में यह पाया गया कि 1206 घरों में से, 302 पूर्ण घर थे और 26 अधूरे घर थे (वसंत नगर में 8 घरों के लिए बाहरी प्लास्टर नहीं किया गया था)। डी. पी. आर. में सीमेंट कंक्रीट सड़क, नाली, जलापूर्ति, विद्युतीकरण शामिल थे और प्रावधानों और किए गए वास्तविक कार्य के संदर्भ में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण कोर कटर, खुदाई का उपयोग करके किया गया था, विभिन्न स्थानों पर आदि। यह पाया गया कि सड़कों की मोटाई अनुमानों और बिल पुस्तकों में उद्धृत की तुलना में कम थी। शिवकरवाड़ी में, अतिरिक्त काम डी. पी. आर. मानचित्र से परे किया गया था, जिसके लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका था। सील कोट की परत नहीं मिली। बाहरी विद्युतीकरण के लिए आवश्यक कनेक्शन नहीं बनाए गए थे। वसंत नगर, फिल्टर और शिवकरवाड़ी कॉलोनियों में बिछाई गई पानी की पाइप लाइनें ओ. एच. आर. से नहीं जुड़ी थीं और बेकार हो गईं। कुछ स्थानों पर स्लैब की मोटाई असमान थी। यह पाया गया कि मेसर्स द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के लिए एक अनुपालन रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। एस. जी. एस. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, एक तृतीय पक्ष, निरीक्षण के लिए।

21. यह आग्रह किया गया कि आवश्यक निरीक्षण और संयुक्त माप के बाद जांच रिपोर्ट में काम का मूल्यांकन किया जाए। वहाँ एक था

₹ 2,43,79,017 / - ठेकेदारों को किए गए काम की तुलना में। से बाहर यह, कथित रूप से मेसर्स को ₹ 1,52,81,246/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था। मीनार कंस्ट्रक्शंस, लातूर और ₹ 90,97,771/-, कथित तौर पर श्री संजय सुधाकर राजहंस, लातूर को।

22. यह तर्क दिया गया था कि रिपोर्ट में कहा गया है कि आई. एच. एस. डी. पी. के लिए सरकारी प्रस्ताव दिनांक 25.06.2007 के संदर्भ में, नगरपालिका [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परियोजना को लागू करता है, और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डी. पी. आर. के साथ त्रिपक्षीय एम. ओ. ए. को निष्पादित करने और परियोजना का चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लाभार्थी। नगरपालिका भी अधिकार सौंपती है और सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। एम/एस। सया इंजीनियर्स, लातूर को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी. एम. सी.) के रूप में नियुक्त किया गया था और माप पुस्तिका में किए गए कार्यों को दर्ज करने, दिन-प्रतिदिन के काम का सत्यापन करने और तकनीकी सलाह देने का काम सौंपा गया था। वास्तविक कार्य के लिए ठेकेदारों को भुगतान नहीं करके सरकारी अधिकारियों और पी. एम. सी. द्वारा कर्तव्यों में लापरवाही की गई थी। सिटी इंजीनियर भी सत्यापन के लिए जिम्मेदार था

पी. एम. सी. द्वारा किए गए माप और इसे सत्यापित करना था, लेकिन इस मामले में ऐसा करने में विफल रहे। नगरपालिका का मुख्य अधिकारी भी जिम्मेदार था क्योंकि वह बिलों को मंजूरी देने से पहले अपनी राय दर्ज करने में विफल रहा। द.

मापन पुस्तकों के बिलों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। समिति ने सुझाव दिया कि पीएमएवाई योजना के तहत मूल पात्र लाभार्थियों को पूरा किए गए घर आवंटित किए जाएं, जिन घरों की मरम्मत नहीं की जा सकती है, उन्हें ध्वस्त किया जाए और घरों के निर्माण के लिए पीएमएवाई योजना के तहत एक नई डीपीआर तैयार की जाए।

23. यह आग्रह किया जाता है कि 22.04.2019 पर आयोजित बैठक में (जिसमें कलेक्टर उस्मानाबाद, मुख्य अधिकारी म्हाडा, मुख्य अधिकारी शामिल हैं)

नगर परिषद नलदुर्ग और अन्य) ने कई कार्रवाइयों का प्रस्ताव किया, जैसे कि यह पता लगाने के लिए किए गए काम का तकनीकी मूल्यांकन कि क्या कोई वित्तीय अनियमितताएं थीं; जिम्मेदार व्यक्ति (ओं) से बरामद की जाने वाली राशि का निर्धारण और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (ओं) के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई; अन्य के साथ। तकनीकी दल की दिनांकित 03.06.2019 रिपोर्ट के आलोक में,

कलेक्टर उस्मानाबाद ने मुख्य अधिकारी, नगर परिषद, नलदुर्ग को ठेकेदारों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली करने और ठेकेदारों से उन्हें काली सूची में डालने का निर्देश दिया।

अनियमितताओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने और अंत में पीएमएवाई के अनुसार मरम्मत योग्य घरों का आवंटन करने के लिए सरकारी कार्य। एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। संभागीय आयुक्त, औरंगाबाद ने अपने दिनांकित 11.06.2019 पत्र द्वारा निर्देश दिया कि कलेक्टर उन घरों की मरम्मत के लिए कदम उठाएंगे जो पीएमएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को आवंटित किए जाने वाले मरम्मत योग्य स्थिति में थे और उन घरों को ध्वस्त करने के लिए कदम उठाएंगे जो मरम्मत योग्य स्थिति में नहीं हैं। घरों के निर्माण के लिए पीएमएवाई योजना के तहत एक नई डीपीआर योजना तैयार की जानी थी।

और पात्र व्यक्तियों को उनका आवंटन। वकील ने कहा कि ये तथ्य रिकॉर्ड का विषय हैं और इन पर विवाद नहीं किया जा सकता है। इन सामग्रियों के आलोक में, अधिकारियों ने प्राथमिकी दर्ज की, जिसके कारण आपराधिक शेख अंसार अहमद एम. डी. की शुरुआत हुई।

हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कार्यवाही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रतीत होता है कि वे कार्यवाही निर्णय और अवमानना कार्यवाही की शुरुआत से प्रेरित थी। फिर भी, एफ. आई. आर. को रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह गंभीर अवैधताओं के आरोपों पर आधारित है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

24. जिन अपीलकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, वे सभी व्यक्तियों या अधिकृत व्यक्तियों के रूप में शामिल थे, जो संस्थाओं की ओर से काम कर रहे थे।

कि अपीलार्थियों ने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। परियोजना सलाहकार के मामले में-जो अपीलकर्ताओं में से एक है-यह मापन पुस्तिका में किए गए कार्यों को ठीक से दर्ज नहीं करने और अतिरिक्त कार्य करने का मामला था। ठेकेदारों को भुगतान। पी. आई. एल. सं. 70/2014 परियोजना ठेकेदार, अधिकारियों और नगर परिषद के पदाधिकारियों के खिलाफ दायर की गई थी। उस याचिका के लंबित रहने के दौरान, दो नगर पार्षदों द्वारा ठेकेदार, अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक जनहित याचिका संख्या 6/2018 दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने दो जनहित याचिकाओं का निपटारा किया और औरंगाबाद के संभागीय आयुक्त को इस पृष्ठभूमि में कदम उठाने का निर्देश दिया

उन्हें प्रस्तुत की गई विभिन्न रिपोर्टों के बारे में, जैसा कि उनके द्वारा दायर किए गए हलफनामे-दिनांक 12.06.2019 के जवाब में संदर्भित है। 25. अपीलार्थियों की पहली शिकायत यह है कि विवादित निर्णय के लिए तर्क दिया गया था और इसके लागू होने के बहुत बाद प्रकाशित किया गया था

भाग का उच्चारण किया गया। निर्णय के सक्रिय भाग को 27.06.2019 पर घोषित किया गया था। कारण 05.10.2020 पर प्रकाशित किए गए थे। यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के आदेश, जिसके खिलाफ एक पीड़ित वादी को विशेष अनुमति अधिकार क्षेत्र के तहत इस अदालत से संपर्क करने का अधिकार है, में ऐसे कारण होने चाहिए, जिनके बिना विशेष अनुमति मांगने के उस अधिकार का प्रयोग करना लगभग असंभव होगा, और कई मामलों में, आग्रह किया गया है विज्ञापन-अंतरिम और, संभवतः, एकतरफा राहत। अपीलार्थियों की बालाजी बलिराम मुपाडे एंड अन्र (ऊपर), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर निर्भरता।

(उपर्युक्त) और सुदिप्त चक्रवर्ती (उपर्युक्त) और अन्य दो निर्णय, जो पहले उद्धृत किए गए हैं, आवश्यक हैं। इस मामले में, उच्च न्यायालय को निर्विवाद रूप से अपने आदेश के सक्रिय भाग के कारण प्रस्तुत करने चाहिए थे। उस हद तक, अपीलार्थियों की शिकायत उचित है। हालाँकि, यह अदालत परिस्थितियों और अभिलेख पर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह मानने के लिए अनिच्छुक है कि कारणों का अभाव विवादित निर्णय की वैधता पर प्रहार करता है। इसने निस्संदेह पूर्वाग्रह पैदा किया, इस हद तक कि [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी उन आधारों को प्रस्तुत करने में असमर्थ थे जिन पर उनकी विशेष अनुमति याचिकाएँ आधारित थीं। हालाँकि, यह पूर्वाग्रह इस अदालत के अंतरिम आदेशों के साथ खड़ा हो गया, जिसने स्थिति की उग्रता को मान्यता दी, और अपीलार्थियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत की राय है कि विवादित आदेश को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, निर्णय के कार्यकारी भाग की घोषणा के समय या अगले कार्य दिवस (न्यायालय के) के शुरू होने से पहले कारण प्रस्तुत नहीं करने में उच्च न्यायालय के आचरण की दृढ़ता से निंदा की जाती है। 26. विवादित निर्णय के लिए अपीलार्थी की अगली चुनौती यह आधार है कि जनहित याचिका प्रेरित थी, और वे पक्षकार नहीं थे। यह आग्रह किया जाता है कि परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय को विवादित निर्देश जारी नहीं करने चाहिए थे। इस अदालत के फैसलों पर इस आशय की निर्भरता रखी गई है कि द्वेष और व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित तथाकथित जनहित याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनहित याचिका पर विचार किया जाना चाहिए, प्रामाणिक कारणों के लिए, न कि किसी गुमराह व्यक्ति की सहायता के लिए।

प्रचार के लिए या सार्वजनिक अधिकारियों या संस्थानों पर प्रतिशोध की अपनी खोज में व्यक्ति। इस अदालत ने (निस्संदेह जनहित याचिका के युग से पहले) जसभाई देसाई बनाम में "व्यस्त निकायों" को बाहर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिन्हें "जनहित के मामलों में कोई रुचि नहीं है"। रोशन कुमार ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा कि

" वे न्याय के लिए योद्धाओं के रूप में वेशभूषा करते हैं। वे प्रो बोनो पब्लिक के नाम पर काम करने का नाटक करते हैं, हालाँकि उन्हें जनता या यहाँ तक कि अपनी रक्षा करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में लिप्त रहते हैं। या तो आदत के बल से या अनुचित उद्देश्यों से। अक्सर, वे कुख्याति या सस्ती लोकप्रियता जीतने की इच्छा से प्रेरित होते हैं; जबकि इस श्रेणी के कुछ आवेदकों का गुप्त इरादा, प्रशासन के पहियों को डराने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय के आवेदनों को अस्वीकार करना अच्छा होना चाहिए

दहलीज पर ऐसे व्यस्त निकाय "।

28. पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन बनाम भारत संघ और Ors.10 मामले में इस अदालत ने जनहित की कार्यवाही के उद्देश्य को रेखांकित किया था और निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

9 9 (1976) 3 एससीआर 58 10 0 (2017) 16 एससीसी 780।

शेख अंसार अहमद एम. डी. हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" 29. कार्य योजना और ये निर्देश क्यों आवश्यक हैं? ऐसा लगता है कि हम जनहित याचिका की शक्ति को भूल रहे हैं और इसलिए समय-समय पर सामाजिक न्याय प्रदान करने में इसकी प्रभावशीलता के बारे में खुद को याद दिलाने की आवश्यकता है। कई साल पहले, यह न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982) 3 एस. सी. सी. 235 में उल्लेख किया कि: (एस. सी. सी पी. 240, पैरा 2):

" 2 ..... जनहित याचिका अदालत के समक्ष लाई जाती है न कि एक व्यक्ति के खिलाफ अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से।

एक और जैसा कि सामान्य मुकदमेबाजी के मामले में होता है, लेकिन इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना और न्यायसंगत ठहराना है जो

यह मांग की जाती है कि बड़ी संख्या में लोग जो गरीब, अज्ञानी या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में हैं, उनके संवैधानिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए और उनका समाधान नहीं किया जाना चाहिए। यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा जो सरकार के किसी भी लोकतांत्रिक रूप में सार्वजनिक हित के आवश्यक तत्वों में से एक है।

थोड़ी देर बाद फैसले में कहा गया: (एससीसी पीपी। 242-43 , पैरा 3)

" 3 ..... मानवता के वंचित और कमजोर वर्गों से संबंधित लाखों लोग अपने जीवन की स्थिति में सुधार लाने और उनके लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सार्थक बनाने के लिए अदालतों की ओर देख रहे हैं। वे

न्याय के लिए रोते रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ अब तक जंगल में रही है। वे एक चट्टान के धैर्य के साथ चुपचाप अन्याय का सामना कर रहे हैं।

किसी भी आँसू बहाने की ताकत भी।

30. जनहित याचिका का लाभ न केवल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है, बल्कि सामाजिक अक्षमताओं से पीड़ित लोगों को भी सशक्त बनाना है, जो जरूरी नहीं कि उनके द्वारा बनाई गई हों। वृंदावन की विधवाएँ

(और वास्तव में अन्य आश्रमों में) स्पष्ट रूप से हमारे समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की इस श्रेणी में आते हैं।

31. सशक्तिकरण को परिप्रेक्षय में रखते हुए, इस न्यायालय ने उल्लेख किया

उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010) 3 एस. सी. सी. 402 कि (एस. सी. सी. पी. पर। 427, पैरा 43) सार्वजनिक का पहला चरण

ब्याज मुकदमेबाजी मुख्य रूप से हाशिए पर पड़े समूहों और [2021] 11 एस. सी. आर. की धाराओं के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाज जो अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता और

अज्ञानता इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों से संपर्क नहीं कर सकती। हम जोड़ सकते हैं-सामाजिक रूप से वंचित समूह। ये हैं।

जिन लोगों के पास न्याय तक वास्तविक पहुंच नहीं है और जिसमें

भावनाएँ बेजुबान हैं, और ये वे लोग हैं जिन्हें होने की आवश्यकता है

सशक्त और जिनके उद्देश्य को उन लोगों द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है

जो वंचितों के लिए सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं।

32. इस मान्यता ने इस निर्णय का आधार बनाया दिल्ली जल बोर्ड बनाम गरिमा और सम्मान के लिए राष्ट्रीय अभियान

सीवरेज और संबद्ध श्रमिकों के अधिकार (2011) 8 एस. सी. सी. 568 जिसमें समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करना

इस न्यायालय के "संवैधानिक कर्तव्य" के रूप में मान्यता दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए, यह था

देखा गया: (एस. सी. सी पी. 590, पैरा 31)

" 31. ये निर्णय अपीलार्थी के निर्णय का पूरा जवाब हैं।

द्वारा दायर रिट याचिका की रखरखाव पर आपत्ति

उत्तरदाता 1. उच्च न्यायालय ने मनोरंजन करके क्या किया है

रिट याचिका और संरक्षण के लिए निर्देश जारी करना

मलजल निकासी से संबंधित कार्य करने के लिए नियोजित व्यक्ति

ओनस

वंचितों के साथ न्याय करने के अपने दायित्व का हिस्सा है

और समाज के गरीब वर्ग। हम जोड़ सकते हैं कि वरिष्ठ अदालतें अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल हो जाएंगी यदि वे मना कर दें

वास्तविक सामाजिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करना

और सामाजिक कार्यकर्ता उन लोगों का समर्थन करने के लिए जो हैं प्रत्येक मनुष्य के लिए उपलब्ध बुनियादी अधिकारों से वंचित,

के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहना है

संविधान। यह न्यायिक घटक का कर्तव्य है

राज्य अपने राजनीतिक और कार्यकारी घटकों की तरह सुरक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और सुनिश्चित करना

कि हर कोई गरिमा के साथ जीने में सक्षम हो "।

29. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता इस अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं

इस आधार पर विवादित निर्णय के साथ कि रिट याचिकाकर्ता जिन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया/जिनके कहने पर जनहित

कार्यवाही शुरू की गई थी और विवादित निर्देश जारी किए गए थे व्यक्तिगत उद्देश्य। यह आग्रह किया गया कि उक्त रिट याचिकाकर्ता पार्षद थे, और राजनीति से प्रेरित थे। इस न्यायालय की राय में,

यह तथ्य अपीलों की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है। उक्त व्यक्तियों द्वारा समर्थित कारण निस्संदेह लोक हित में था, क्योंकि यह शेख अंसार अहमद एम. डी. के लिए आवास से संबंधित था।

हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, इतनी बड़ी संख्या में। यह योजना हजारों लोगों को लाभान्वित करने के लिए थी, और एक हजार से अधिक आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना था और लाभार्थियों को आवंटित किया जाना था। कार्यवाही के दौरान की गई और तैयार की गई पूछताछों और रिपोर्टों को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता था कि जनहित की कार्यवाही शुरू करना उचित था।

ऐसी रिपोर्टों की विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए। वर्तमान मामले में, भले ही जनहित याचिकाकर्ताओं के इरादे अस्पष्ट थे, या तुरंत प्रामाणिक नहीं थे, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता था। इसलिए, जनहित याचिकाकर्ताओं की स्थिति की कमी के बारे में आपत्ति बेमानी है।

30. इस प्रकार अभिलेख से पता चलता है कि दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं जिनमें कुछ हद तक समान आरोप थे, अर्थात योजना को पूरा करने के संबंध में नलदुर्ग के नगरपालिका अधिकारियों की विफलता और उपेक्षा। जनहित याचिकाकर्ताओं ने आई. एच. एस. डी. पी. के पूरी तरह से कुप्रबंधन का आरोप लगाया था, जिसके संदर्भ में 1 लाख 50 हजार आवास इकाइयों का निर्माण किया जाना था और पात्र व्यक्तियों को सौंप दिया जाना था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन और आवंटनकर्ताओं द्वारा वहन किए जाने वाले शेष धन पर विचार किया गया था। बनाए जाने वाले लक्षित 1206 आवास इकाइयों में से 737 लाभार्थी आरक्षित श्रेणी के थे और बाकी सामान्य श्रेणी के थे। निर्माण की लागत अनुमानित थी

₹ 16,08,91,396/- (सोलह करोड़ आठ लाख नब्बे हजार तीन सौ छियानबे रुपये केवल)। कुल लागत थी

आयुक्त ने खुलासा किया कि नलदुर्ग में विभिन्न इलाकों में केवल 242 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया था, जिनमें से 202 का उपयोग किया जा सकता था और 100 अनुपयोगी और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के कारण निरीक्षण के साथ-साथ खातों का सत्यापन भी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों की ओर से दायर हलफनामों से पता चला कि ₹ 1,52,81,846/- (एक करोड़ बावन लाख अड़सठ हजार अड़सठ छियालिस रुपये केवल) और ₹ 90,97,771/- (नब्बे लाख नब्बे सात हजार सात सौ इकत्तर रुपये केवल) का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। 31. अपीलार्थियों की मुख्य दलीलें यह हैं कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है, भले ही वे [2021] 11 एस. सी. आर. नहीं थे।

लोकहित कार्यवाहियों में सुना गया, और यह कि उनके प्रतिकूल होने के कारण निर्णय उनकी गैर-भागीदारी के कारण दूषित हो जाता है। एक शिकायत यह भी की गई है कि ठेकेदारों द्वारा निर्मित आवास इकाइयों में, सार्वजनिक एजेंसी, यानी नगरपालिका द्वारा कोई कमी नहीं बताई गई थी और यहां तक कि नागरिक कार्रवाई भी बाधित थी क्योंकि संविदात्मक देयता अवधि समाप्त हो गई थी।

32. विवादित फैसले ने दोनों जनहित याचिकाओं का निपटारा कर दिया। अनिवार्य रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया पहला निर्देश, अर्थात मंडल को

आयुक्त सामान्य रूप से जवाब में शपथ पत्र में निर्दिष्ट कदम उठाएंगे

और पैरा 8 विशेष रूप से "यथासंभव शीघ्रता से इसके तार्किक अंत तक" इस मामले में अशांति प्रतीत होती है क्योंकि अपीलकर्ताओं का कहना है कि इससे प्राथमिकी दर्ज की गई है। हलफनामे में आई. एच. एस. डी. पी. योजना की आपत्तियों का वर्णन किया गया और पूर्ण आवास इकाइयों, यानी 302 घरों के संबंध में स्थिति का संकेत दिया गया। हलफनामे में 20.04.2019 की रिपोर्ट और 22.04.2019 पर समिति की बैठक में अनुशंसित कदमों का हवाला दिया गया है। संभागीय आयुक्त ने आगे कहा:

" 7. मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि प्रतिनिधि द्वारा गठित तकनीकी समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, कलेक्टर उस्मानाबाद ने 3-06-2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पत्र द्वारा नगर परिषद नलदुर्ग के मुख्य अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। दिनांकित 03/06/2019।

ठेकेदारों को दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली करना।

आई)

संबंधित ठेकेदारों से और आगे निर्देश दिया गया

काली सूची जो सरकार के लिए ठेकेदार हैं। काम करते हैं।

मुख्य अधिकारी को आगे के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

II)

नगर परिषद नलदुर्ग, अपराध करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन की कार्रवाई शुरू करेगी

अनियमितताएँ।

III) इस आशय का और निर्देश जारी किया गया है कि जिन घरों की मरम्मत की जा सकती है, उन्हें पीएमएवाई के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवंटित किया जाएगा और अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति दिनांक 03/06/2019

कलेक्टर उस्मानाबाद इसके साथ संलग्न है और

एक्सहिबिट "आर-5" के रूप में चिह्नित।

शेख अंसार अहमद एम. डी. हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

8. मैं कहता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में और

परिस्थितियों में प्रतिनिधि ने अपने दिनांकित 11/06/2019 पत्र के माध्यम से कलेक्टर उस्मानाबाद को मरम्मत के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया

जिन घरों की मरम्मत की जा सकती है, उन्हें पीएमएवाई योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जाना चाहिए। वे घर जो मरम्मत योग्य स्थिति में नहीं हैं, उसी नई डी. पी. आर. योजना को ध्वस्त करके पी. एम. ए. वाई. योजना के तहत तैयार किए जाने चाहिए और उक्त घर पात्रों को आवंटित किए जाने चाहिए।

उक्त योजना के तहत व्यक्ति। आगे के निर्देश भी हैं

के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए जारी किया गया था

कार्यान्वयन में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति

योजना से। 11/06/2019 दिनांकित पत्र की प्रति इसके साथ संलग्न की गई है और इसे "आर-6" के रूप में चिह्नित किया गया है। इसलिए यह शपथ पत्र '।

33. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने न तो स्वयं जांच शुरू करने का निर्देश दिया और न ही प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। द.

संभागीय आयुक्त ने उन निर्देशों को अपदस्थ कर दिया था जो इस तरह के कदम उठाने के लिए दिए गए थे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उन कदमों को उनके तार्किक उद्देश्य के लिए उठाया जाए।

34. अदालत की राय में, जबकि विवादित फैसले का तर्क निस्संदेह एक लंबी और अस्पष्टीकृत देरी के बाद प्रकाशित किया गया था,

इसके कार्यात्मक निर्देशों का प्रभाव स्वयं मुकदमा चलाने के लिए नहीं था। यह.

केवल संभागीय आयुक्त से आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी, जो आपराधिक अभियोजन शुरू करने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इच्छित उद्देश्यों के लिए फ्लैटों के पुनर्निर्माण की दिशा में भी कदम उठा रहे थे। लाभार्थी। यह रिकॉर्ड की बात है कि जब दिसंबर 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तो सभी वर्तमान अपीलार्थियों-जिनमें से सभी उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं थे-को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि इनमें से कई अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि अग्रिम जमानत के लिए उनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे; उन्होंने विशेष अवकाश के लिए आवेदन के साथ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं क्योंकि वे उच्च न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। उन कार्यवाही पर विचार किया गया और इस अदालत ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से बचाने के लिए अंतरिम आदेश दिए थे।

35. दिनांक 20.04.2019 की निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड की गई सामग्री और आगे की सामग्री जिसमें

संभागीय आयुक्त के हलफनामे में गंभीर प्रकृति की अनियमितताएं दिखाई गईं। रिपोर्टों के अनुसार, निर्माण उप-मानक [2021] 11 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसे 100 घरों के संबंध में, इतना गंभीर कि इकाइयाँ अनुपयोगी थीं। 1206 पात्र और योग्य परिवारों को आवास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त राशि खर्च करने के बावजूद पूरा नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थियों का यह तर्क कि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्हें सुना जाना चाहिए था, इस न्यायालय के लिए स्वीकार्य नहीं है; यह सही नहीं है। ललिता कुमारी बनाम मामले में इस अदालत की पाँच न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। सरकार. उत्तर प्रदेश सरकार इस बात में स्पष्ट है कि यदि संज्ञेय अपराध करने के संबंध में आरोप हैं, जिन्हें पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है, तो आम तौर पर एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि:

" 119. इसलिए, पंजीकरण या गैर-पंजीकरण के संबंध में विभिन्न प्रतिवादों को देखते हुए, केवल यह आवश्यक है कि पुलिस को दी गई जानकारी को संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करना चाहिए। ऐसे में एफ. आई. आर. दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि, अगर दी गई जानकारी में कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया जाता है, तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और शायद पुलिस सीमित मामलों के लिए एक प्रकार का प्रारंभिक सत्यापन या जांच कर सकती है।

यह पता लगाने का उद्देश्य कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है। लेकिन, अगर जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है

संज्ञेय अपराध का उल्लेख करते हुए, तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। अन्य

एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण में विचार प्रासंगिक नहीं हैं, जैसे कि क्या जानकारी गलत तरीके से दी गई है, क्या जानकारी वास्तविक है, क्या जानकारी विश्वसनीय है, आदि। ये वे मुद्दे हैं जिन्हें एफ. आई. आर. की जाँच के दौरान सत्यापित किया जाना है। एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण में, केवल यह देखा जाना चाहिए कि क्या दी गई जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। यदि जाँच के बाद दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर मुकदमा चलाने का हमेशा एक विकल्प होता है। झूठी एफ. आई. आर. दर्ज करना "।

36. वर्तमान मामले में, गंभीर अनियमितताओं का संकेत देने वाली सामग्री थी। सरकार ने संभागीय आयुक्त को अनुमति दी

12.06.2019 पर उनके द्वारा दायर हलफनामे में पुष्टि की गई है कि आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में, मामले को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का अर्थ लगाया जाना चाहिए

1 1 11 (2014) 2 एस. सी. सी. 1 शेख अंसार अहमद एम. डी. हुसैन वी। महाराष्ट्र राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उस संदर्भ में। क्या आरोप सही हैं या क्या याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों ने उनके आचरण या चूक को उचित ठहराया है, इस पर उच्च न्यायालय कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता है, और इस अदालत की सही राय में, टिप्पणी नहीं की। जहाँ तक एफ. आई. आर. का संबंध है, ललिता कुमारी (उपरोक्त) में घोषित कानून की अनिवार्य प्रकृति को देखते हुए पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था, जहाँ प्रारंभिक जांच की जाती है।

आमतौर पर जब भी संज्ञेय अपराधों की सूचना दी जाती है तो उन्हें टाल दिया जाता है।

37. उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, इस अदालत की राय है कि अपीलों को विफल होना होगा। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों या इस न्यायालय की टिप्पणियों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे किसी भी तर्क या बचाव, किसी भी तर्क या बचाव के गुण को बाधित करते हैं जो अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक कार्यवाही के दौरान लिया जा सकता है। अपीलों को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है लेकिन लागत पर किसी भी आदेश के बिना।

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।